

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक /भू.अ./2024/101

दिनांक 11/01/2024

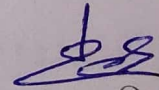
श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय,
सांगोद जिला कोटा।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/RJ/OTHER/20036/2016 के सन्दर्भ में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19/07/23 को उठाई गई आपत्तियों में बिंदु संख्या 7 (नौनेरा डेम एवं भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा को भूमि आवंटन के बदले वन विभाग को आवंटित भूमि) के संबंध में।
प्रसंग :- श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के आदेश क्रमांक :प० () राजस्व/ विविध / 2023 / 2420A दिनांक 07/11/2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि:-

- यह है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के पत्रांक 4348-49 दिनांक 08/12/2017 की छाया प्रति के अनुसार सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति (अनाज कोटा) के दक्षिण दिशा की ओर वन विभाग की भूमि में से 74 है. भूमि (ख.न. 74 रकबा 2.12, ख.न. 75 रकबा 3.22 है., ख.न. 78 रकबा 5.18 है., ख.न. 79 रकबा 5.33, ख.न. 80 रकबा 5.43 है., ख.न. 81 रकबा 5.77 है., ख.न. 82 रकबा 2.68 है., ख.न. 83 रकबा 0.73 है., ख.न. 94 रकबा 4.39 है., ख.न. 95 रकबा 1.00 है., ख.न. 100 रकबा 1.94 है., ख.न. 101 रकबा 4.96 है., ख.न. 102 रकबा 0.36 है., ख.न. 106 रकबा 2.74 है., ख.न. 107 रकबा 5.68 है. ख.न. 109 रकबा 2.71 है. ख.न. 110 रकबा 6.55 है. ख.न. 111 रकबा 2.57 है. ख.न. 114 रकबा 6.44 है., ख.न. 474 रकबा 1.28 है. कुल कित्ता 21 रकबा 74 है.) एवं ग्राम बोरीनाखुर्द (ख.न. 174 रकबा 22.00 है.) की 22.00 है. कुल रकबा 96 है. वन भूमि के बदले सिवायचक भूमि वन विभाग को क्षति पूर्ति हेतु स्थानान्तरण /आवंटन किए जाने के संबंध में अनापत्ति /पूर्व स्वीकृति पदान की गयी थी। उक्त अनापत्ति के क्रम में पटवारी हल्का को आदिनांक तक कोई आवंटन आदेश प्राप्त नहीं होना बताया। उक्त ख.न. भूमि वर्तमान में सिवायचक खाता सं. 1 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
- यह है कि नौनेरा डेम हेतु आवंटित गई वन भूमि के बदले ग्राम गुरायता एवं बोरीनाखुर्द में वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित की गई भूमि बिंदु संख्या 1 में अंकित उपरोक्त ख.न. से भिन्न है। जिसको श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश क्रमांक प.() राजस्व 3 /नौनेरा /2018/272 दिनांक 01/02/2020 एवं तहसील कार्यालय सांगोद के पत्र क्रमांक भू.अ./21/502 दिनांक 03/02/2021 की पालना में माल ग्राम गुरायता प.म. अमृतकुआ में (105, 117, 130, 131, 133, 134, 17, 171, 175, 176, 177, 187, 190, 191, 210, 211, 212, 214, 264, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 33, 357, 359, 360, 361, 84, 365, 366, 47, 471, 472, 473, 475, 8, 52, 53) कुल कित्ता 43 रकबा 109.26 है.) का नामांतरण सं. 503 एवं माल ग्राम बोरीनाखुर्द प.म. बोरीनाकला में (ख.न. 311, 220, 390) कुल ख.न. 3 रकबा 91.79 है.) का नामांतरण सं. 307 से राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद किया जा चुका है। उक्त आवंटित ख.न. भामाशाह मंडी हेतु प्रस्तावित ख.न. से भिन्न है।
- यह है कि दर्ज आपत्ति बिंदु सं. 7 में ओवर लेपिंग मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट नहीं पाई गई। नौनेरा डेम में वन विभाग को क्षति पूर्ति हेतु आवंटित भूमि के ख.न., सेठ भामाशाह कृषि उपज हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित ख.न. से भिन्न है जो उपरोक्तानुसार दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी के संबंध में आवंटन आदेश प्राप्त नहीं होना बताया गया।
सूचना अभिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार (भू.अभि.) सांगोद

श्री मान तहसीलदार साहब
तहसील सांगोद

विषय :- जोनेरा डैम एवं आमाशाह डूबि उपल मन्गी
कोरा को भूमि आवंटन के बदले आवंटित बन सिआ
आवंटित भूमि की रिपोर्ट के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- श्री मान तहसीलदार साहब के मौखिक आदेश
एवं श्री मान जिला डेलेक्टर महोदय कोरा के
फ़ाउ प. () राजस्व / विविध / 2023 / 2420A दिनांक
7/11/2023 के सलग पत्रों के क्रम में ।

मान्यवर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन गृहि श्री मान के
मौखिक आदेश की पालना में उपखण्ड आधीशरी सांगोद
के कार्यालय से प्राप्त पत्रों के क्रम में ग्राम गुदायला
एवं ग्राम बोरीनापुर के रिजर्व से लॉन्ग की गई जो
निम्न प्रकार है -

- ① श्री मान जिला डेलेक्टर महोदय कोरा के आदेश पत्र
क्रमांक 4348-49 दिनांक 8/12/2017 की दायी प्रति के
अनुसार सेठ आमाशाह डूबि उपल मन्गी मापति
(अनाप कोरा) के दत्तन दिशा की ओर बन विभाग
की भूमि में जे 74 हेक्टर भूमि आवंटन के क्रम में
ग्राम गुदायला तहसील सांगोद में स्थित खन 74 की 2.12,
75 की 3.22, 76 की 2.92, 78 की 5.18, 79 की 5.33,
80 की 5.43, 81 की 5.77, 82 की 2.68, 83 की 0.73,

पिन्दारी
सांगोद

94 की 4.39, 95 की 1.00, 100 की 1.94, 101 की 4.96, 102 की 3.36
 106 की 2.74, 107 की 5.68, 109 की 2.71, 110 की 6.55, 111 की
 3.57, 114 की 6.44 एवं 117 की 1.28 हेक्टर कुल किताब
 2 रुबा 74.00 हेक्टर व ग्राम बोरीनापुर तहसील जोगी के ख.न.
 174 रुबा 22.00 हेक्टर कुल रुबा 96 हेक्टर अर्ध वन अर्ध
 के वल्ले सिवायनड अर्ध वन विभाग को सौंपी है। स्थानांतरित
 आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति / पूर्व स्वीकृति
 प्रधान की बायी थी। उक्त अनापत्ति के क्रम में परवर्ती हस्ता
 को मादिनांड तहसील आवंटन आदेश प्राप्त नहीं हुआ।
 तथा उक्त अर्ध ग्राम गुयायता एवं बोरीनापुर वर्तमान दिनांक
 में सिवायनड खता नं 1 में राज्य सरकार के नाम दर्जिगि
 वृद्धि ग्राम गुयायता के ख.न 111 में रुबा 3.57 हे. के
 स्थान पर न्यायालय आदेश से अन्य खेतपार को दिखाने
 से वर्तमान में ख.न 1340/111 रुबा 1.27 हेक्टर सिवम गं.
 रु. खेत खेद पर दर्ज रिजिस्ट्रार वृद्धि पुनः निवेदन है कि उक्त
 अर्ध वन विभाग को हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धित आदेश
 प्राप्त नहीं होने से अर्ध सिवायनड दर्ज रिजिस्ट्रार है।

- ② निवेदन है कि नौनेरा डैम में दि गई वन अर्ध के
 वल्ले ग्राम गुयायता एवं बोरीनापुर में वन विभाग ने
 आवंटित (हस्तान्तरित की गई अर्ध बिन्दु संख्या 1 में
 अंशित उपरोक्त ख.न से ग्रैन वृद्धि सिवम राज्य सरकार
 में अमल वन विभाग के नाम किया जा चुका है। निम्नी
 अंशित आवंटन आदेशों की दायी प्रतियाँ रिपोर्ट के द्वारा राज्य
 सरकार वृद्धि की मान किया कलेक्टर महोदय को के
 आदेश क्रमांक प 0 () राज्य-III / नौनेरा / 2018/272
 दिनांक 01/02/2020 एवं की मान तहसीलदार अर्ध जोगी

सिवम गं.
 राज्य सरकार

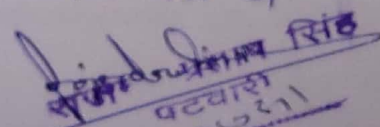
के पत्र क्रमांक क्र.मं/२१/५०२ दिनांक ०३/०२/२०२१ की पातना में
 ग्राम गुरायता की अर्षि $\frac{105}{0.65}$, $\frac{117}{1.40}$, $\frac{130}{4.44}$, $\frac{131}{1.17}$, $\frac{133}{1.88}$,
 $\frac{134}{3.16}$, $\frac{17}{14.96}$, $\frac{171}{1.60}$, $\frac{175}{2.07}$, $\frac{176}{1.80}$, $\frac{177}{1.27}$, $\frac{187}{0.73}$, $\frac{190}{3.97}$, $\frac{191}{1.02}$,
 $\frac{210}{0.77}$, $\frac{211}{2.11}$, $\frac{212}{2.46}$, $\frac{214}{1.39}$, $\frac{264}{4.29}$, $\frac{314}{4.91}$, $\frac{322}{0.25}$, $\frac{323}{1.45}$,
 $\frac{324}{0.44}$, $\frac{325}{1.43}$, $\frac{326}{4.72}$, $\frac{327}{1.65}$, $\frac{328}{1.14}$, $\frac{33}{2.48}$, $\frac{357}{5.87}$, $\frac{359}{0.85}$, $\frac{360}{1.80}$,
 $\frac{361}{0.93}$, $\frac{365}{1.85}$, $\frac{366}{1.33}$, $\frac{47}{1.46}$, $\frac{471}{1.08}$, $\frac{472}{3.19}$, $\frac{473}{1.10}$, $\frac{475}{5.25}$,
 $\frac{8}{6.05}$, $\frac{52}{0.81}$, $\frac{53}{1.46}$, $\frac{8}{6.05}$, $\frac{84}{1.62}$ किला ५३ रकबा १०९.२६ हेक्टा

नामान्तकालीन सं. ५०३ स्वीकृति दिनांक ०५/०६/२०२१ में वन विभाग
 के नाम रक्षित जमीन पर इस प्रकार आमाशाह मंजी हेतु
 प्रस्तावित कोई रकबा नौनेरा डैम के विस्तार रक्षित वन
 विभाग की अर्षि में शामिल नहीं पाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम बोरीनापुरी प.म. बोरीनाकला की
 अर्षि रकबा $\frac{311}{38.50}$, $\frac{220}{10.70}$, $\frac{390}{42.59}$ कुल किला ३/११.७९

हेक्टा अर्षि वन विभाग के नाम रक्षित जमीन पर जो कि
 आमाशाह मंजी हेतु स्वीकृति हेतु सलग्न अनापत्ति में
 अंकित रकबा १७५ हेक्टा २२ हेक्टा में अर्षि है। अतः
 दोनों ही ग्राम की अर्षि नौनेरा डैम हेतु स्वीकृति
 में वन विभाग को आवर्तित अर्षि में अर्षि होना पाया
 गया है।

रिपोर्ट को मान के जमाद लाकर पेश है।


 राजेंद्र सिंह
 पटवारी
 प.म. ३१२/७२१
 तारीख २२/११/२०२१